

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला

क्रमांक : 33


दिनांक : 19/06/2024

:: कार्यालय आदेश ::

मैं करुणा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपठित धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 31 दिनांक 03.06.2024 में आंशिक संशोधन कर माह जून, 2024 के दिनांक 22/06/2024 व 23/06/2024 के राजकीय अवकाशों को जोधपुर जिला मुख्यालय, ओसियां, बालेसर, बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, भोपालगढ़ तथा फलोदी, बाप व लोहावट न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य तथा प्रोटोकॉल आदि के लिए पूर्व में अधिकृत न्यायिक अधिकारी की ड्यूटी निरस्त कर उनके स्थान पर निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को उक्तानुसार कार्य सम्पादित करने के लिए अधिकृत करती हूँ :-

क्र.स.	क्षेत्राधिकार	अधिकृत न्यायिक अधिकारी का नाम व पदनाम	रिमाण्ड ड्यूटी की दिनांक
1.	जोधपुर जिला, बालेसर, बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, ओसियां, भोपालगढ़, फलोदी, बाप व लोहावट न्यायालयों हेतु	श्री रेणु कुमार मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपालगढ़	22/06/2024 (Fourth Saturday)
		श्री महेन्द्र कुमार मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाप	23/06/2024 (Sunday)


उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष आदेश (क्रमांक 31 दिनांक 03.06.2024) यथावत रहेगा।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला
दिनांक : 19/06/2024

क्रमांक : 418

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला।
- श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, पोक्सो न्यायालय, जोधपुर जिला।
- श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला/फलोदी/बिलाड़ा/बालेसर।
- श्रीयुत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1 व 2 फलोदी/बिलाड़ा/पीपाड़ शहर/बालेसर/ओसियां।
- श्रीयुत न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला/फलोदी/बालेसर/पीपाड़ शहर/भोपालगढ़/बाप/लोहावट/बिलाड़ा। श्रीयुत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, ओसियां।
- श्रीयुत जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण/फलोदी को प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को सूचित करावें।
- जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को सूचित करावें।
- सहायक निदेशक, अभियोजन, जोधपुर।
- सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर सेल, जिला न्यायालय, जोधपुर जिला को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करे।
- कार्यालय प्रति।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला